उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
टी0सी0 12 वी0, विभूति खण्ड,
गोमती नगर, लखनऊ

संदर्भ संख्या F83170/C-2/N.O.C/4124/16 दिनाँक 08-7-16

सेवा में,

श्रीमती रूपा गोयल
(द्वारा मै0 आर0 हाउसिंग)
486–डी, पोखरपुर, लाल बंगला,
जनपद– कानपुर।

पंजीकृत

विषय : पर्यावरणीय प्रदूषण की दृष्टि से आवासीय परियोजना के स्थापनार्थ जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 तथा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के प्राविधानों के अन्तर्गत स्थापना से पूर्व सहमति (कन्सेन्ट टू स्टेब्लिश) अनापत्ति प्रमाण–पत्र निर्गमन के संबंध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक अपने आवेदन पत्र का संदर्भ लें। आपके आवेदन पर विचार किया गया तथा कृपया अवगत हों कि आवासीय परियोजना को पर्यावरण प्रदूषण के दृष्टिकोण से निम्नलिखित विशिष्ट शर्तो एवम् सामान्य शर्तो के समुचित अनुपालन के साथ सशर्त अनापत्ति स्वीकृत की जाती है।

1. अनापत्ति प्रमाण–पत्र निम्नलिखित विशिष्ट विवरणों के लिए ही निर्गत किया जा रहा है :–

(क) स्थल	:– भूखण्ड/भवन सं0: एम–2, जी0टी0 रोड, चकेरी, जनपद– कानपुर।
(ख) प्रस्तावित परियोजना का विवरण	:– स्थल विकास/भूखण्ड विकसित कर आवासीय बहुमंजिला समूह आवास (कुल प्लाट क्षेत्रफल–2280 वर्गमीटर, जिसमें 6610.26 वर्गमीटर बिल्टअप एरिया में आवासीय भवन निर्माण कार्य प्रस्तावित है)।
(ग) परियोजना के निर्माण हेतु प्रयुक्त सामग्री	:– भवन निर्माण सामग्री।
(घ) घरेलू उत्प्रवाह की मात्रा	:– 44 कि0ली0/दिन
(ड.) वायु प्रदूषण स्रोत व प्रयुक्त ईंधन	:– डी0जी0 सेट 02 नग– 25 के0वी0ए0 व 7.5 के0वी0ए0 हेतु डीजल आवश्यकतानुसार।

उपर्युक्त विषय वस्तु में किसी भी प्रकार से परिवर्तन करने पर पुन अनापत्ति प्रमाण–पत्र प्राप्त करना आवश्यक होगा।

2. परियोजना में सभी आवश्यक यंत्र, संयंत्र, हरित पट्टिका, उत्प्रवाह शुद्धिकरण संयंत्र तथा वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था की स्थापना में की गयी प्रगति रिपोर्ट इस कार्यालय में प्रत्येक माह की दसवीं तारीख तक निरंतर प्रेषित करें।

3. परियोजना/उद्योग इकाई में परीक्षण उत्पादन/संचालन तब तक प्रारम्भ नहीं करें जब तक कि वह बोर्ड से जल एवं वायु अधिनियमों के अन्तर्गत सहमति प्राप्त न कर लें। जल एवं वायु सहमति प्राप्त करने हेतु इकाई में उत्पादन/संचालन प्रारम्भ करने की तिथि से कम से कम 2 माह पहले निर्धारित सहमति आवेदन पत्रों को उत्पादन/संचालन पूर्व प्रथम आवेदन का उल्लेख करते हुए इस कार्यालय में अवश्य ही जमा कर दिया जाए। यदि परियोजना/उद्योग उपरोक्त का अनुपालन नहीं करता है तो उक्त अधिनियमों के वैधानिक प्राविधानों के अन्तर्गत परियोजना/उद्योग के विरूद्ध बिना किसी पूर्व सूचना के विधिक कार्यवाही की जा सकती है।

कृ0पृ0उ0

23. Every worker working on the construction site and involved in loading, unloading and carriage of construction debris or construction material shall be provided with mask to prevent inhalation of dust particle.
24. All medical help, investigation and treatment will be provided to the workers involved in the construction of building and carrying of construction of building and carrying of construction debris or construction material related to dust emission.
25. The transportation of construction material and debris waste to construction site, dumping site or any other place will be carried out in accordance with rules.
26. Fixing of sprinklers and creation of green air barriers will be done to control fugitive dust emission and improve environment.
27. Compulsory use of wet jet in grinding and stone cutting will be practiced.
28. Wind breaking walls will be constructed around the construction site.
29. Green belt will be developed around the building as per Rules.
30. All approach roads & in campus roads should be sprinkled with water to suppress the dust emission.
31. अनापत्ति प्रमाण पत्र में वर्णित शर्तों एवं बोर्ड में जमा बैंक गारण्टी संख्या 127GT02161030001 दिनांक 12.04.2016 रूपये 1,20,000/– एच0डी0एफ0सी0 बैंक, सिविल लाइन्स, कानपुर में वर्णित समस्त शर्तों का अक्षरशः अनुपालन करना सुनिश्चित करें, अनुपालन न करने की दशा में संस्था द्वारा प्रेषित बैंक गारण्टी बोर्ड के पक्ष में अवमुक्त की जा सकती है, जिसकी पूर्ण जिम्मेदारी स्वयं संस्था के जिम्मेदार पदाधिकारियों की होगी।

कृपया ध्यान दें कि उपर्युक्त लिखित विशिष्ट शर्तो एवम् सामान्य शर्तों तथा बैंक गारण्टी में उल्लिखित शर्तों का प्रभावी एवम् संतोषजनक अनुपालन न करने पर बोर्ड में जमा बैंक गारण्टी को जब्त करते हुए बोर्ड द्वारा निर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र निरस्त किया जा सकता है। बोर्ड का अधिकार सुरक्षित है कि अनापत्ति की शर्तो में संशोधन किया जाये अथवा इसे निरस्त कर दिया जाय। उपर्युक्त विशिष्ट एवं सामान्य शर्तो के संबंध में आवासीय परियोजना द्वारा इस कार्यालय में 31.08.2016 तक प्रथम अनुपालन आख्या अवश्य प्रेषित की जाए।

भवदीय,

(एस0 सी0 यादव)
सदस्य सचिव

पृष्ठांकन सं0 /एन0ओ0सी0 तददिनांक :

प्रतिलिपि :क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, कानपुर को सूचनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(टी0 यू0 खान)
पर्यावरण अभियंता
प्रभारी– वृत्त 2